APP-A
Crim-I

FROM No. -III

फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) गुलाबपुरा
केम्प कोर्ट – बडला

रुघनाथ पिता देबी बलाई
निवासी– जयसिंहपुरा

बनाम

मूला पिता बख्तावर बलाई
निवासी– जयसिंहपुरा

किस्म मुकदमा– वादपत्र अन्तर्गत धारा– 88, 92 (ए) रा.टि.ए.

प्रकरण संख्या– 222/2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.06.2018	पत्रावली आज केम्प कोर्ट बडला पर पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष द्वारा प्रकरण में अंतिम बहस सूनी जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील उभयपक्ष की बहस सूनी गई। वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त भूमि साबिक सेटलमेन्ट में देबी, बख्तावर पिता हमीदा के नाम दर्ज थी। जिसमें दोनो का बराबर बराबर का हिस्सा दर्ज था। खातेदार देवी व बख्तावर की मृत्यु के बाद उक्त आराजी 1/2 हिस्से से वादीगण के नाम पर व 1/2 हिस्सा प्रतिवादी 1 व 2 के नाम पर दर्ज होनी चाहिये थी। किन्तु सेटलमेन्ट की गलती से उक्त आराजी बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम पर दर्ज कर दी गई, जो अवैध व नाजायज है। उक्त अवैध रुप से दर्ज खाते के बल पर प्रतिवादी संख्या– 1 ने अपने 1/2 हिस्से की आराजी को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से प्रतिवादी संख्या– 3 को विक्रय कर दी । इस आधार पर उसका खाता भी प्रतिवादी संख्या– 3 ने अपने नाम पर खुलवा लिया, जो वादीगण के हक अधिकार पर शून्य प्रभावी है। वकील वादी का बहस में यह भी कथन था कि प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हम सलाह होकर वादीगण के हक हिस्से व कब्जे में नाजायज तोर पर हस्तक्षेप करते है। तथा मना करने पर न मान लडाई झगडा करने पर उतारु रहते है। उनका उक्त कृत्य अवैध होकर कानून की मंशा के विपरित होने से उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। अन्त में कथन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर प्रतिवादी संख्या– 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 के हक में किये गये विक्रय पत्र को वादीगण के हक पर शून्य घोषित करा कर 1/2 हिस्से की आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज करवाई जावे। जबकि वकील प्रतिवादी का कथन था कि आराजी नम्बर– 459/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा जो जमाबन्दी सम्वत् 2016–2019 के राजस्व रिकार्ड में सेटलमेन्ट के पहले देवी, बख्तावर पिता हमीरा के नाम शामलाती दर्ज थी, जिसमें 1/2, वादीगण के पिता का 1/2 प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के पिता का	सहायक कलेक्टर (S. D. O.) गुलाबपुरा जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

हिस्सा निहित होकर हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे थे। तथा उनके स्वर्गवास के बाद 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। परन्तु सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गलत व अवैध रुप से उक्त आराजी नम्बर– 459/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि को अकेले वादी नम्बर– 2 के पिता भूरा के नाम दर्ज कर दी जबकि उक्त आराजी का 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम दर्ज करना चाहिये था । उक्त आराजी का सम्पूर्ण रकबा वादी संख्या– 2 घीसू के पिता के नाम दर्ज हो जाने से उनके स्वर्गवास के बाद उसके नाम दर्ज हो जाने से वादी घीसू आये दिन प्रतिवादी को अपने निहित हिस्से 1/2 से बलपूर्वक गलत व अवैध रुप से वादीगण के कब्जे में बाधा उत्पन्न करने पर आमादा होता रहता है तथा अन्य को विक्रय करने की धमकी देता है, जिसे स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें । अन्त में कथन किया कि प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर वादग्रस्त साबिक आराजी नम्बर– 459/1 रकबा 02 बीघा 03 बिस्वा जिसके हाल नम्बर– 671 है, जो अकेले वादी नम्बर–2 के नाम दर्ज है, जिसमें से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम दर्ज करवाया जावें।

जवाब बहस में वकील वादी का कथन था कि प्रतिवादी द्वारा काउण्टर क्लेम कर जो दादरसी मांगी गई है, वह विवादित आराजीयात के अलावा अन्य आराजीयात से सम्बन्धित होने से उक्त वादपत्र में दिलाई जाना न्यायेचित नही होने से प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम विथ कास्ट खारिज फरमाया जावें।

मैनें वकील उभयपक्ष को सूना। बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। विवेचन निम्न प्रकार से रहा है–

वादीगण के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 मौजा जयसिंहपुरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 436 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा, आराजी नम्बर– 437/13, रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा भूमि अन्य आराजी के साथ देवी, बख्तावर पिता हमीरा बलाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है। वादीगण के द्वारा प्रस्तुत सेटलमेन्ट विभाग के खसरा नम्बर– 2020 मौजा जयसिंहपुरा के अनुसार साबिक आराजी नम्बर– 437/13, के नये नम्बर– 654, साबिक आराजी नम्बर– 436 मी. के नये नम्बर– 660, 661 बनाया जांना स्पष्ट हुआ है।

यहॉ वादीगण का कथन है कि खातेदार देवी व बख्तावर की मृत्यु हो जाने से 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम तथा 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम दर्ज होना चाहिये था, किन्तु सेटलमेन्ट की गलती से उक्त आराजीयात बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम दर्ज कर दी गई। वादीगण का उक्त कथन उचित प्रतीत नही होता है। चुँकि सेटलमेन्ट विभाग के द्वारा वादग्रस्त आराजी को बिना किसी

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

आधार के प्रतिवादी संख्या– 1 व 2 के नाम दर्ज नही की बल्कि फर्द इख्तालाफ संख्या– 113 से वादग्रस्त भूमि मूला, माधु, पिता बख्तावर के नाम दर्ज हुई है। और इसी कारण वादीगण के द्वारा फर्द इख्तलाफ संख्या– 113 की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नही की है, यदि फर्द इख्तलाफ संख्या– 113 की फोटो प्रति पत्रावली में पेश हो जाती तो सम्पूर्ण स्थिति स्पष्ट हो जाती कि वादग्रस्त सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी माधु, मूला के नाम किस प्रकार से दर्ज हुई है। वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी मूला, माधु पिता बख्तावर के नाम पर राजस्व रेकार्ड में लगभग 54 साल से लगातार दर्ज चली आ रही है। पत्रावली में उपलब्ध हाल राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 मौजा जयसिंहपुरा के अनुसार हाल आराजी नम्बर– 654, 660, 661 किता 3 रकबा 06 बीघा 04 बिस्वा भूमि मूला, माधु, पिता बख्तावर बलाई साकिन देह के नाम दर्ज रिकार्ड होना तथा नामान्तकरण संख्या– 560 दिनांक 05.09.2011 बैचान से मूला पिता बख्तावर के बजाय कैलाश चन्द्र पिता माधु बलाई के नाम दर्ज रिकार्ड आना स्पष्ट है। जिसे बिना किसी आधार के 1/2 हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित नही होने से दावा वादी खारिज योग्य है।

प्रतिवादी ने भी अपना काउण्टर क्लेम पेश कर साबिक आराजी नम्बर– 459/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि में 1/2 हिस्से से हक घोषणा करवाना चाहा है। पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दी सम्वत् 2020–2023 मौजा जयसिंहपुरा के अनुसार वादग्रस्त आराजी 459/1 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा भूमि देवी, बख्तावर पिता हमीरा के नाम दर्ज होना तो प्रकट है किन्तु उक्त साबिक नम्बर– के नये नम्बर– 671 बनाये गये हो ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नही कराया गया है, साथ ही वादीगण का वाद मौजा जयसिंहपुरा की साबिक आराजी नम्बर– 436, 437/13 को लेकर ही प्रस्तुत किया गया है जिसमें साबिक आराजी नम्बर– 459/1 का कोई उल्लेख नही है। ऐसी स्थिति में यदि आराजी नम्बर– 459/1 को लेकर कोई विवाद है तो उसके लिये प्रतिवादी पृथक से वाद लाने के लिए स्वतन्त्र है। लिहाजा प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज योग्य है।

"निर्णय"

प्रतिवादी संख्या– 1, 2, 3 के द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम तथा दावा वादी खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें। निर्णय आज दिनांक 04.06.2018 को खुली अदालत केम्प कोर्ट बडला पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner